कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

सेन्ट्रल स्टोर्स विभाग

ड्रेनेज कर्मचारियो की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपकरण प्रदाय करने की मुख्य शर्ते वर्ष 2026

1	नगर पालिक निगम इन्दौर को ड्रेनेज कर्मचारियो की सुरक्षा हेतु निम्नानुसार उपकरणो की आवश्यकता होने से इन्हे प्रदाय करने हेतु दरें आमंत्रित की जाती है :– 1. Safety Tripod set – 20 Nos. 2. Gas Monitor, 4 gases – 23 Nos. 3. Full body Wader suit – 20 Nos. 4. Gas Mask – 20 Nos. 5. Breathing Apparatus – 32 Nos. 6. Safetu body Harness- 12 Nos. 7. Air Line Breathing Apparatus- 15 Nos. 8. Safety body clothing-250 Nos. 9. Safety helmet. – 250 NOS. उक्त उपकरणो का स्पेशीफिकेशन संलग्न है । सामग्री प्रदाय उपरांत निविदाकर्ता को उपकरण का प्रशिक्षण संबंधित कर्मचारियों को देना होगा । उपरोक्त उपकरणो की सूची में जिस आयटम में जिस फर्म की दर न्यूनतम रहेगी उससे वही आयटम क्रय की जावेगी । निविदा की दरे ओपन होने पर न्यूनतम दर निविदादाता उसके द्वारा प्रस्तुत दर पर कार्य करने में असमर्थता प्रकट करता है या निविदा स्वीकृत होने पर समयावधि में अनुबंध पत्र एवं प्रतिभूति की राशि की रसीद प्रस्तुत नही करता है या अनुबंध पश्चात क्रय आदेश जारी होने पर समयावधि में सामग्री प्रदाय नही करता है तो फर्म की अर्नेस्ट मनी राशि/प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी । साथ ही फर्म को ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जा सकती है । उपरोक्तानुसार यदि फर्म निविदा स्वीकृत होने पर समयावधि में अनुबंध पत्र एवं प्रतिभूति की राशि की रसीद प्रस्तुत नही करती है या आर्डर में दी गई समयावधि मे सामग्री उपलब्ध नही करा पाती है तो अत्यावश्यकता की स्थिति में निविदा में भाग लेने वाली अन्य फर्म से (दरो की वरीयता के आधार पर) सहमति प्राप्त की जाकर स्वीकृत दर पर सामग्री क्रय की जावेगी।
2	निविदाकर्ता को सभी उपकरणो के सेंपल निविदा की अंतिम दिनांक से पहले विभाग में जमा कराना होगा एवं सेंपल जमा करने की रसीद को ऑनलाईन निविदा में अपलोड करना होगा ।
3	मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम के बिन्दू क्रमांक 14.1 में उल्लेख एवं मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार **मध्य प्रदेश के सुक्ष्म एवं लघु उद्यमों को** निविदा प्रस्तुत करने हेतु टेण्डर फार्म एवं प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) के भुगतान से छूट रहेगी। अन्य प्रदेश के निर्माताओ को उक्त छूट नही दी जावेगी। उक्त छूट हेतु निविदाकर्ता का सुक्ष्म एवं लघु उद्यम की श्रेणी में पंजीयन का प्रमाण पत्र (मेन्युफेक्चरिंग एक्टिविटी का)होना आवश्यक

	है, उक्त प्रमाणपत्र के अंतर्गत कॉलम नेशनल इण्डस्ट्री क्लासीफिकेशन कोड के NIC 2 Digit, NIC 4 Digit, NIC 5 Digit, तीनो डिजिट मे निविदा से संबंधित सामग्री वर्ग मे पंजीयन होना आवश्यक है । उपयुक्त केटेगरी में पंजीयन नही होने की स्थिति में फर्म को डिस्क्वालीफाय किया जावेगा एवं बाद में किसी तरह की आपत्ति मान्य नही होगी । यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त छूट केवल निर्माता को रहेगी सप्लायर को नही एवं छूट लेने पर निर्माण संबंधी दस्तावेज निविदादाता के नाम से होने चाहिए। अतः निविदाकर्ता उक्त छूट लेने हेतु बिड सबमिशन के पूर्व अपनी अर्हता सुनिश्चित कर लेवें , बाद में किसी तरह की आपत्ति मान्य नही होगी । यदि निर्माता का उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एक से अधिक वस्तुओ के लिये NIC कोड में पंजीयन है तो उसके द्वारा किस कोड के अन्तर्गत छूट प्राप्त की गई है उसे हाइलाइट/टिक किया जावे ।
4	निविदादाता को अपने भाव आनलाईन देना होगें एवं निम्नलिखित डाक्युमेंटस आनलाईन अपलोड करना होगा । निविदादाता बिड सबमिशन के पश्चात यह सुनिश्चित कर लेवे कि सभी वांछित डाक्युमेंट्स अपलोड किये गये है । (1) टेण्डर फार्म एवं अर्नेस्ट मनी हेतु जमा की गई राशि की रसीद अथवा मध्यप्रदेश के सुक्ष्म एवं लघु उद्यम होने की स्थिति में पंजीयन प्रमाण पत्र (शर्त क्रमांक 3 अनुसार) (2) पेन कार्ड की प्रति (3) जी.एस.टी. में पंजीयन की प्रति (4) निविदा प्रपत्र (टेण्डर फार्म की हस्ताक्षरित प्रति तथा जनरल शर्ते व हिदायते की हस्ताक्षरित प्रति) (5) सामग्री सप्लाय करने की मुख्य शर्ते की हस्ताक्षरित प्रति (6) रू.100/- के भारतीय गैर न्यायिक स्टॉम्प पर नोटरीज्ड एफीडेविट । (7) यदि निविदाकर्ता सप्लायर है तो उसे निर्माता द्वारा जारी निविदा विशिष्ट अधिकृत पत्र , यदि निविदाकर्ता निर्माता है तो निर्माता होने संबंधी कोई भी दस्तावेज, (8) निविदाकार के पास स्वयं का स्थानीय सर्विस सेंटर होना या स्थानीय सर्विस सेंटर से अनुबंध होना अनिवार्य है जिसका प्रमाण पत्र (9) निविदाकर्ता का पिछले 5 वर्ष में निविदा में उल्लेखित समस्त उपकरणो के प्रदाय से संबंधित कार्य का कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र (10) निविदा में उल्लेखित सभी सेंपल जमा करने की रसीद (11) निविदा में उल्लेखित उपकरणो के प्रदाय हेतु आवश्यक सर्टिफिकेट – स्पेसीफिकेशन में उल्लेखित अनुसार निविदा का तकनीकी मूल्यांकन ऑनलाईन में प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर ही किया जावेगा । उपरोक्त सभी दस्तावेज प्रस्तुत (अपलोड) नही करने की स्थिति में या दस्तावेज कम पाये जाने की स्थिति में फर्म को तकनीकी निविदा में असफल माना जाकर उनकी वित्तीय निविदा ओपन नही की जावेगी । उपरोक्त दस्तावेज उनके क्रम से ही अपलोड किये जावे ।
5	एफीडेविट की मूल प्रति सफल निविदाकर्ता को अनुबंध के समय प्रस्तुत करना होगी ।

6	निविदा के भाव 90 दिन खुले रहना चाहिए इससे कम अवधि की निविदा पर विचार नही किया जावेगा ।
7	देयक से नियमानुसार टेक्स की राशि निगम द्वारा काटी जावेगी ।
8	भाव समस्त टेक्स, जी.एस.टी., पैकिंग भाडे. सहित सेन्ट्रल स्टोर्स विभाग में पहुंच के दिये जावे ।
9	किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इन्दौर रहेगा ।
10	फर्म दवारा प्रस्तुत निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार निगम आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा । सशर्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।
11	निविदा क्रय/प्रस्तुत करने की तिथियो पर अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगले कार्यदिवस पर उक्त कार्यवाही सम्पादित की जावेगी ।
12	निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन होने पर सीधे ऑनलाईन अपलोड किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशित नही किया जावेगा । निविदा संशोधन अनुसार निविदादाता को निविदा प्रस्तुत करना होगा ।
13	न्यूनतम निविदादाता को अनुबंध के साथ विभाग द्वारा बताई गई प्रतिभूति राशि की रसीद जमा कराना अनिवार्य है । तदुपरान्त अर्नेस्ट मनी हेतु ऑनलाईन जमा की गई राशि वापिस कर दी जावेगी ।
14	समय समय पर शासन द्वारा जारी नियम / निर्देश मान्य करना होंगें ।

उपायुक्त
सेन्ट्रल स्टोर्स विभाग
नगर पालिक निगम इन्दौर

निविदादाता के हस्ताक्षर ....
पद ....
फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर................
फर्म का नाम...
पता...